न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 09.12.2023

राजस्व वाद संख्या : 74/2023

निर्णय दिनांक : 09.12.2023

जीसीएमएस संख्या – 2023/138

दायर दिनांक – 16.08.2023

श्री रामेश्वरलाल पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान।

................वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.................प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री महेश शर्मा एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कानूता तहसील सुजानगढ़ के खेत खसरा संख्या 116 रकबा 2.3646 हैक्टेयर का संयुक्त व अविभाजित खातेदारी का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें वादी का 3/5 हिस्सा है जो वादी के कब्जा व काश्त, उपयोग व उपभोग का है।

वादी द्वारा भूमि खरीदने के बाद उपरोक्त भूमि का नामान्तरकरण दर्ज हुआ लेकिन भूलवश रामेश्वरराम लिख दिया गया, जबकि वादी का सही व दस्तावेजों में नाम रामेश्वरलाल है जो कि वादी के समस्त दस्तावेजात में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को सरकारी मुआवजा व बीमा करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया ... तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट ... कर निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:11:54 IST
Reason: SelfAttested

09.12.23
न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

वादगत खेत रोही ग्राम कानूता के खाता संख्या 442 में वादी का नाम रामेश्वरराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी कानूता दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम रामेश्वरलाल पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी कानूता है। रामेश्वरराम व रामेश्वरलाल दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग–अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामेश्वरराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी कानूता के स्थान पर रामेश्वरलाल पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी कानूता किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक की फोटोप्रति., राशन कार्ड की प्रतिलिपि आदि में भी वादी का नाम रामेश्वरलाल पुत्र घासीराम ही अंकित है तथा ग्राम पंचायत कानूता द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 102 दिनांक 02.08.2023 में भी वादी का नाम रामेश्वरराम पुत्र घासीराम के स्थान पर रामेश्वरलाल पुत्र घासीराम ही सत्य होना अंकित किया है। अतः मुताबिक़ रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 116 तादादी 2.3646 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम रामेश्वरराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी कानूता खातेदार के स्थान पर रामेश्वरलाल पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी कानूता खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

09.12.23

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:11:54 IST
Reason: SelfAttested

लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवेन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़